कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

कमांक / संविदा–सेवा / LADCS STAFF / 2508 दिनांक – 23-06-25

निविदा सूचना संख्या / 01 / 2025–26

UBN No. - LSA252655OB0028 NIB No. - LSA2526A0028

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु (कार्य आदेश तिथि से दिनांक 31.03.2026 तक) लीगल एड डिफेंस कांउसिल के कार्यालय के लिये पूर्णतया अस्थायी पदों के लिए संविदा पर निम्नानुसार कार्मिक, श्रम विभाग से श्रम आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदार / फर्म / आपूर्तिकर्ता से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

क्र स	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई पद)	कार्मिकों की संख्या	अधिकतम देय पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	Office Assistant	2	19000 / –	39150 / – बयाना राशि सहित	500 / –	27.06.2025	27.06.2025 (10.15 AM)	27.06.2025 (10:30 AM)
2	Receptionist cum Data Entry Operator	1	16000 / –					
3	Office Peon	3	11000 / –					

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना व शर्तें जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट https://sikar.dcourts.gov.in/ व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500 / – केवल ई–ग्रास चालान द्वारा एवं प्रतिभूति राशि 39150 / – डी.डी. / बैंकर्स चैक एवं अन्य प्रचलित नियमानुसार स्वीकृत माध्यम (नकद के अतिरिक्त) से जमा करवाई जा सकेगी।
3. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
4. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. तत्काल आवश्यकता के मध्यनजर उक्त निविदा इमरजेन्सी प्रोक्यॉरमेन्ट के तौर पर लिस्ट की जाकर आमंत्रित की जा रहीं हैं एवं उसी अनुरूप समय सीमा प्रदान की जा रहीं हैं।

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

दिनांक :– 23-06-25

क्रमांक :–डीएलएसए / 2509 – 2512

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदा का प्रकाशन https://sikar.dcourts.gov.in/ पर करावें।
3. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, सीकर।
4. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता व मोबाईल नम्बर
.....
2. निविदा शुल्क रूपये 500/– ई–ग्रास के माध्यम से चालान द्वारा राजकोष में नियमानुसार स्वीकृत माध्यम से जमा करवा दी गई है। चिन्ह अंकित करें।
3. बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि रूपये 39150/– डी.डी./बैंकर्स चैक एवं अन्य प्रचलित नियमानुसार स्वीकृत माध्यम (नकद के अतिरिक्त) से जमा करवा दी गई है। चिन्ह अंकित करें।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	GST				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	अनुभव का विवरण (अपने लैटर हैड पर पृथक से सूची संलग्न करें और संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण भी संलग्न करें)				
8	बैंक खाते का कैंसिल चैक				

नोट :– नियमानुसार जो भी लागू हो, उसमें सम्पूर्ण सूचनायें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. मैं/हम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा जारी की गई खुली बोली सूचना सं. 01/2025–26 दिनांक 23.06.2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली सूचना को सभी सामान्य/विशिष्ठ/अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
2. मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी उपबंधों के सभी उपबंध, समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन सहित से यथावत बाध्य होना भी स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

क्रमांक :–डीएलएसए/ दिनांक :–

खुली बोली प्रपत्र 2
(वित्तीय बोली)

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु (कार्य आदेश की तिथि से 31.03.2026 तक) कार्मिकों की सेवाओं के उपापन के लिए वित्तीय बोली/प्राईस में हमारी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा। मय सं.				EPF दर प्रतिशत (दर परिवर्तित होने पर परिवर्तित दर लागू होगी)	EPF दर प्रतिशत (दर परिवर्तित होने पर परिवर्तित दर लागू होगी)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति प्रति माह प्रति ईकाई रू.)	कुल राशि रू.
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दर (प्रति माह प्रति ईकाई रू.)	श्रमिकों की सं.	राशि प्रति माह प्रति ईकाई रू.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Office Assistant	उच्च कुशल	9334	2		13.00 या नियमानुसार (नियोक्ता)	3.25 या नियमानुसार (नियोक्ता)		
2	Receptionist cum Data Entry Operator	उच्च कुशल	9334	1		13.00 या नियमानुसार (नियोक्ता)	3.25 या नियमानुसार (नियोक्ता)		
3	Office Peon	अकुशल	7410	3		13.00 या नियमानुसार (नियोक्ता)	3.25 या नियमानुसार (नियोक्ता)		

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ सं. 06 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियां अंकित की जायेगी।
2. किसी भी स्थिति में कुल राशि कॉल सं. 10 (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) से अधिक नहीं होगी तथा इसमें सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI शामिल होंगें।

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

–: निविदा पत्र की मुख्य शर्तें :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500/– ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075–00–800–52–01, प्रतिभूति राशि 39150/– बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि रूपये 39150/– डी.डी./बैंकर्स चैक एवं अन्य प्रचलित नियमानुसार स्वीकृत माध्यम (नकद के अतिरिक्त) द्वारा जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। नकद अथवा डी.डी. से जमा कराये गये निविदा शुल्क, स्वीकार नहीं की जायेगी तथा उसकी निविदा मान्य नहीं होगी। (Department Code - 100211, DDO Code - 25095)
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे अधिनियम व नियम कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" व "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान भी अभिभावी होंगे।
3. मोहर बंद लिफाफा जिस पर एल.ए.डी.सी.एस. कार्यालय हेतु मानव संसाधन भर्ती हेतु तकनीकी/वित्तीय निविदा लिखकर प्रस्तुत करनी होगी।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक मोहर बंद लिफाफे में दी जायेगी।
5. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा। निविदादाता के तकनीकी मूल्यांकन में सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों के अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
7. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकृत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत करना होगा।
8. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदकों द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खाते में जमा करवाई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा करवाई गई राशि के विवरण बावत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर के अनुसार कार्मिकों को मजदूरी के भुगतान कराने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
10. कार्मिकों के निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की न्यूनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ./ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

12. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति कार्मिकों हेतु Helping नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

13. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि निर्धारित समय पर नियमानुसार जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

14. सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर जमा करवाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं की जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तर दायित्व संवेदक का होगा। परन्तु यह समस्त राशि निविदा में अंकित अधिकतम देय राशि से अधिक नहीं होगी तथा इसी अधिकतम देय राशि में सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज, ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. भी शामिल होगें।

15. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उनके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

16. यदि संवदेक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये कार्मिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

17. नियोजित कार्मिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

20. कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

21. सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

22. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध करने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

23. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

24. यदि एक से अधिक बोलीदाता की दरें समान मिलती है तो अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

25. बोलीदाता अपनी सविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

26. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 03 दिवस में संभवतयाः 01.07.2025 से कार्मिक उपलब्ध करवायेगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिक का Computer Test & Speed Test (Other than office Peon) लिया जायेगा तथा टेस्ट में सफल होने वाले कार्मिक ही कार्य करने के लिए अनुमत होगा।

27 कार्मिकों की योग्यता :–

Qualification for Office Assistant/ Clerks:

• Educational Qualification: Graduation, • Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data, • Good Typing speed with proper setting of petition, • Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts, • File maintenance and processing knowledge.

Qualification for Receptionist-cum-Data Entry Operator :

• Educational Qualification: Graduation, • Excellent verbal and written communication skills, • Word and data processing abilities, • The ability to work telecommunication systems (telephones, fax machines, switchboards etc), • Proficiency with good typing speed.

27. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

28. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्ते पूरी नहीं करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः–

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

ङ. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

29. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति –

अ. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

30. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit)– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरण किया जा सकेगा –
(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

31. भुगतानः–
(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–
(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%
(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए
(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक – 7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10%
(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(ज) यदि सेवाओं में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि निर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

33. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
34. आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
35. निविदा दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।
36. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

37. कार्मिकों की संख्या बढाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एवं कार्मिक की संख्या ज्यादा होने पर इसी दर पर उपलब्ध कराने होगे।

38 यदि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 व 2025–26 में एक ही फर्म से उक्त सेवाएं इसी निविदा के क्रम में ली जाती है/बढ़ाई जाती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में धरोहर राशि की अन्तर राशि जमा करवाई जायेगी।

39. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित दिनांक और समय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

40. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र सीकर शहर होगा।

41. सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।

42. बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय "यदि कोई हो" असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटाई जायेगी।

43. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों को पढ एवं समझ लिया है तथा इनकी पालना हेतु सहमत है। सहमति स्वरुप सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

अध्यक्ष, उम्मपन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

घोषणा पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं"नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

Annexure A - Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

(a) have controlling partners/shareholders in common; or

(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

(f) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

Annexure B - Declaration by The Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Date:
Place :

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

Annexure C - Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Date:
Place :

अध्यक्ष, उपसमिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be nonrefundable.

(b) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

Annexure D - Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors -**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities.-**

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original contract on same terms and conditions. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Biddder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

Form No. – 1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 .

Appeal No of
Before (Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

(i) Name and father's name of the appellant :
(ii) Official address :
.....
(iii) Residential address :
.....

2. Name and address of the respondent(s)
(i)
(ii)
(iii

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

अध्यक्ष, उपापन समिति
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकऱ

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

SELF-DECLARATION – NO BLACKLISTING

I/We declare that I/We are bonafide Manufacturer/ Authorized Dealer in the Good/Stores/Equipments/Furniture's for which I/We have Tendered. I/ We hereby declare that presently our Company/ firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date :
Place:

Name of the Bidder
Authorised Signatory
Seal of the Organisation

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

SR FORM- 17

AGREEMENT
(See Rule 68)

(On non-judicial Stamp Paper of Rajasthan Government of the value as per S.R.-16)
An agreement made this ---------- day of ---------- between -------- --------- ---------- (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

02. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the_____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column_____ of the said schedule.

03. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _____. (1) Cash/Bank Draft/Challan No./Banker Cheque No._____ dated_____.
(2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
(3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

04. Now these Presents witness:
(01) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
(02) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated_____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
(03) Letters Nos._____ received from tenderer and letters nos._____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
(04) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through_____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.
(c) The mode of Payment will be as specified below:-
1._____ 2._____ 3._____

05. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period

06. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-
a. Delay up to the one fourth period of the prescribed delivery period. 2.5 %
b. Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period. 5.0 %
c. Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period. 7.5 %
d. Delay exceeding three fourth of the prescribed period. 10 %
Note :
(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%
(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.
07. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.
In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of 20.....

Signature of the approved supplier.

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Signature with Designation

Date:

1. Witness

2.Witness

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर सीकर

एस.आर.–17

(निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

1. यह करार पत्र आज दिनांकको प्रथम पक्ष
.....
(अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वितीय पक्ष के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जावेगा।

2. अनुमोदित सप्लायर
राजस्थान राज्य के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा जारी निविदा सूचना संख्यादिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान.....
..... की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांकदिनांकराशिअक्षरे
.....में दी गई सभी वस्तुओ/ सामानों की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तो पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूं।

3. उक्त कार्यादेश/आपूति आदेश की राशिके पेटे 5 प्रतिशत, राशिकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (SD) डीडी संख्या
.. दिनांकसे जमा कराई जा चुकी है।

4. यदि अनुमोदित सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशो के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

5. माल/सेवा की आपूर्ति कार्य आदेश जारी होने की तिथि सेदिवस में पूर्ण की जावेगी।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा विनिश्चत किए जावेंगे जो अन्तिम रूप से स्वीकार/मान्य होगें।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्षकार (अनुमोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)	द्वितीय पक्षकार (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर)
साक्षी संख्या 1	साक्षी संख्या 1
साक्षी संख्या 2	साक्षी संख्या 2